

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)  
मुकदमा नं०- 402/2022  
जी सी एम एस नं० 2022/933  
शिवराम आदि

दर्ज दिनांक 28.10.2022  
निर्णय दिनांक 25.05.2023  
चिरंजीलाल आदि

बनाम  
अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2023 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी में खाता संख्या नया 261 व पुराना खाता संख्या 246 के खसरा न. 1102/896 रकबा 0.9100 है० कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.9100 है० भूमि तथा अन्य भूमि इन्द्रपुरा खाता संख्या नया 262 खाता संख्या पुराना 217 जिसके खसरा न. 559 रकबा 0.0200 है०, खसरा न. 560 रकबा 1.7800 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.8000 है० में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.01.2023 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से प्राप्त पत्र क्रमांक:- भू.अ./2023/875 दिनांक 19.04.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.04.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.04.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

रामसिंह राजावत  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (झुझुनू)

निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



रामसिंह राजावत  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (झुझुनू)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं  
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)  
मुकदमा नं०- 402 / 2022

जी सी एम एस नं० 2022 / 933  
शिवराम आदि

दर्ज दिनांक 28.10.2022

निर्णय दिनांक 25.05.2023

बनाम

चिरंजीलाल आदि

दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई  
वल्द ...-...मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.04.2023 को अंतिम डिक्री  
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.04.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम  
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को  
आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में  
तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।  
निज..-.....निल..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....  
.....निल..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -..  
.....निल..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -..  
.....निल..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत  
के आज तारीख 25 माह 05 सन 2023 को जारी की गई।

25/5/23  
(रामसिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (झुझुनूं)

